

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

जसपाल सिंह बनाम् मंदर सिंह वगैरह

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रकरण सं.-74/2025

जी.सी.एम.एस नं.-2025/252

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
10/25	<p>आज प्रार्थी की ओर से श्री हरीचंद अरोड़ा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब करके पत्रावली आईन्दा दिनांक 02.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनुपगढ़</p>	
2/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 01/1/26 को पेश हो।</p>	
9/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 01/2/26 को पेश हो।</p>	
12/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 08/3/26 को पेश हो।</p> <p>आज पद पत्रावली प्रस्तुत बाद ना किस्ताना छोपे के इस्ताना कस केस के मे जी गिरी प्रस्तुत ना किस्ताना छोपे सुडा थे तथा इस्त हा अपा 212 RTA खब करे</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p> <p>(सं. 1/26)</p> <p>01/03/26</p>

- लीफिप वही वधा अल. सा.पु
 212 RTA वही स्टट पर खारिद
 - त्रिपा लाल वही पत्रावली निमगावण
 - खारिद परट्ट घाऊर इले मगर
 - से म वही

सुभाष
 उपखण्ड अधिकारी
 अनुपगढ़